

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 32/2017

- 1- राजीव कुमार पुत्र श्री सज्जन सिंह मांडोत उम्र बालिग निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

-----प्रार्थी

ब न म

- 1- श्री सुखा नाथ पुत्र श्री प्रताप नाथ जाति जोगी उम्र बालिग निवासी बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2- श्री मगना पुत्र श्री भूरा जाति माली उम्र बालिग निवासी बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
3- श्री मोती पुत्र श्री रामा जाति माली उम्र बालिग निवासी बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

-----अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 279 रक्बा 01-19-00 बिस्वा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बड़ा आसन की जमाबंदी संवत 2071-74 के खाता संख्या 178 में ख0 न0 279 रक्बा 01-19-00 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम बड़ा आसन स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 279 रक्बा 01-19-00 बिस्वा में मौका कमीशनर रु 1500/- कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि जरिये नक्शा व जमाबंदी अनुसार मौके पर जरिये नाप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।




(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

